संख्या-29/2024/745848/2024/60-1099/224/2024

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 18 सितम्बर, 2024**

विषय-: प्रदेश में "स्वच्छता ही सेवा (एस0एच0एस0),2014" के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2024 से 02 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित होने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-सी0डब्ल्यू-।।-22/बी/2019-0/०यूएस(सी0डब्ल्यू-।।)पार्ट-(1) (ई-81372), दिनांक 10.09.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से 02 अक्टूबर, 2024 के मध्य मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत वित्त पोषित समस्त बाल देखरेख संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी में स्वच्छता गतिविधियां संचालित करते हुये एक विशेष स्वच्छता अभियान (पखवाड़ा) आयोजित किया जाना है।

2- उपरोक्त क्रम में आपके जनपद में संचालित समस्त राजकीय/वित्त पोषित संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित सांकेतिक गतिविधियां संचालित की जानी हैः-

(1) संस्था के परिसर का धूम्रीकरण (Fogging), नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और भंडारण टैंक/ओवर हेड टैंक की नियमित सफाई।

(2) संस्था में पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध हों तथा बाल व दिव्यांगजन हेतु अनुकूल हों।

(3) संस्था में यदि रंग-रोगन की आवश्यकतानुसार रंग-रोगन कराया जाए।

(4) जिन संस्थाओं में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, वहां न्यूट्री-किचन गार्डन विकासित किये जायें तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए।

(5) संस्था में किसी प्रकार के लघु निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता हो तो लघु निर्माण कार्य का प्रस्ताव जनपद के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर पृथक से उपलब्ध कराया जाए।

(6) संस्था में आवासित बच्चों और कार्मिकों के साथ श्रमदान, स्वास्थ्य, हाइजीन एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर समूह चर्चा का आयोजन।

(7) संस्थाओं में बाल समिति द्वारा कमरों, शौचालयों, भोजन, कपड़ों आदि की साफ-सफाई का निरीक्षण किया जाए।

(8) बच्चों और कार्मिकों को व्यक्तिगत स्वच्छता यथा नाखून काटना, हाथ धोना, अलमारी की सफाई एवं बच्चों को साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथ साफ धोकर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, आदि।

(9) स्वच्छता/स्वास्थ्य विषय पर वेबिनार, कार्यशाला, फिल्म शो, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) संस्थाओं में उचित और निरंतर सफाई विशेषकर बार-बार छुई जाने वाली सतहों का सैनिटाइजेशन तथा वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन की नियमित आपूर्ति।

(11) सेप्टिक टैंक की नियमित सफाई तथा शौचालयों को दैनिक आधार पर साफ और स्वच्छ किया जाए।

(12) "बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट" विषय पर बच्चों के साथ कला और शिल्प गतिविधि।

(13) विभागीय वेबसाइट एवं समस्त संस्थाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेश का प्रदर्शन।

(14) एकल-उपयोग प्लास्टिक (एस0यू0पी0) के उपयोग पर अंकुश और कार्यालय में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करें।

(15) जन-जागरूकता हेतु सोशल मीडिया यथा फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का उपयोग।

(16) सभी जनपदों मिशन वात्सल्य योजना के स्वच्छता एक्शन प्लान मद में मौजूदा अव्ययित शेष धनराशि का उपयोग 'स्वच्छता ही सेवा-2024' के अंर्तगत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु किया जा सकता है।

3- उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त देख-रेख संस्थाओं में प्रयोग की जा रही वस्तुओं यथा वस्त्रों, बर्तन, फर्नीचर, भवनों आदि के रख-रखाव में यदि कोई कमी/खराबी है तो तत्काल उनकी मरम्मत व आवश्यक नवीकरण (रिफरबिशमेन्ट) काराया जाए।

4- समस्त संस्थाओं में जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर उपरोक्त की पूर्व समीक्षा तथा पश्चात आंकलन की कार्यवाही की जाए।

5- बाल देखरेख संस्थाओं के अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों का आयोजन विभाग के अंतर्गत महिलाओं हेतु संचालित समस्त प्रकार के गृहों एवं कार्यालयों में भी किया जायेगा।

6- स्वच्छता ही सेवा संबंधी विशेष स्वच्छता अभियान के संचालन अवधि के दौरान शासन एवं निदेशालय स्तर से भी अधिकारियों द्वारा जनपदों में स्थित संस्थाओं/कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया जायेगा।

7- महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 के अधीनस्थ समस्त मंडलीय उप-निदेशक तथा जनपदीय जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा इस दौरान विभिन्न जनपदों में स्थित संस्थाओं/कार्यालयों में अभियान का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीया

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5- गार्ड फाइल।

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।